



www.canarabank.bank.in
Toll Free Helpline 1800 1030

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking



ACCOUNT OPENING FORM FOR RESIDENT INDIVIDUAL (PART -I)

(MUST ACCOMPANIED WITH TERMS AND CONDITIONS)

CUSTOMER INFORMATION SHEET (CIF Creation/Amendment)

(In case of joint accounts, Part-I (CIF Sheet) to be taken for each customer)

Date:

Branch Name : Branch Code

Fields marked asterix (*) are mandatory. Please fill up in BLOCK letters only and use black ink for signature
(For office use only)

Customer ID: Application type: New Update

Account No.:

CKYC No.:

(Mandatory for CKYC update request)

Account type: Normal Small Minor

Staff Staff No

Bank/Branch to affix rubber stamp of name and code no.

1. Personal Details

Name*: FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

(Same as ID Proof) Prefix

Maiden Name : FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

Date of Birth*: Gender* Male Female Third Gender

Marital Status Married Unmarried Single Divorced Living Apart Defacto Others

Name of Father FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

Prefix

(Father's name is mandatory if PAN is not provided)

Name of Mother FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

Prefix

Name of Spouse* FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

Prefix

No. of Dependents

Illiterate YES NO if yes : Identification Marks :

Name of Guardian FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

Prefix

(In Case Of Minor*) Relationship with Guardian

Nationality*: In-Indian Others Country Name: Citizenship:

Occupation Type* Service State Govt Central Govt Public Sector Undertaking Defence Private Sector
Business Industrialist Trade Sect. Serv.Sect Migrant Labour Contractor Jeweller/Bullion Trader Pawn shop Import/Export Customer Other Self Employed
Others Medical Prof. Legal Prof. CA/ICWA/Taxation/Finance Eng./Architect/Tech. Consultant Retired Journalist House wife Student
 Share and Stock Broker Oth. Professional Agriculture Political / Social Worker

X-Not categorised-Please specify

Annual Income*: Rs. Net Worth(approx value) Rs.

Religion : Hindu Muslim Christian Sikh Others

Category: General OBC SC ST

Person with disability : No Yes *If yes, please fill the declaration form (NF 1097) regarding disability type and percentage

Educational Qualification : Upto 9th Class Passed 10th Class Passed Graduate (Gen) Post Graduate (Gen) Med. Graduate/Post Graduate Eng. Graduate/Post Graduate
 Law Graduate/Post Graduate CA/ICWA/MBA/CFA Computer Degree/Diploma/MCA Other Professional Degree/Diploma Illiterate

Organization's Name: Designation/Profession:

Nature of Business:

Please Tick the Applicable box*: Politically exposed Person Related to politically Exposed Person None
ISO 3166 Country Code of Jurisdiction of Residence*

(Politically Exposed Persons are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country e.g. Heads of State / Governments , Senior Politicians / Senior Governments/Judicials /Military Officers/Senior Executives of State owned Corporations, important Political Party Officials, etc.)

Country of Tax Residence in India only and not in any other country or territory outside India* Yes No (If No, please fill the FATCA details form - Annexure II)

PAN* (If PAN is not submitted, submit Form 60 - Annexure I)

2 Contact Details (All communications will be sent on provided Mobile No./Email-ID)

Mobile No. Email ID

Tel.(Off): Tel.(Res):

Obtain NF 1102 in the case of non-possession/non-disclosure of mobile number.

3 Proof of Identity/Address (Please tick the appropriate Box (any one ID type) and give details)*

- A-PASSPORT B-VOTER'S IDENTITY CARD C-DRIVING LICENCE Proof of possession of Aadhaar Number (Verification) EKYC Offline
- E-NREGA JOB CARD F-LETTER ISSUED BY NATIONAL POPULATION REGISTER CONTAINING DETAILS OF NAME & ADDRESS

Document No./Identification Number*

Issued By

Issue Date:* Expiry Date (If applicable):*

Small Accounts : Only Self Attested Photograph

4 Address details **Current** **Permanent** **Overseas**

Address type* Residential/Business Residential Business Registered Office Unspecified

Address*

City/Village District**

State:* Pin:* Country Name*

5 Address details **Correspondence** **Local** **Same as Current/Permanent Address**

Address type* Residential/Business Residential Business Registered Office Unspecified

Address*

City/Village District**

State:* Pin:* Country Name*

6 LGD CODES

*State Code _____ *District Code _____ *Sub District Code _____ Local Body Code _____

Local Body Type _____ *Village Code _____ Village Status _____

State Name _____ District Name _____ Sub District Name _____

Local Body Name _____ Local Body Type Name _____ Village Name _____

7 If the Officially Valid Document(OVD) provided does not contain current address-please provide any of the documents below.

Utility Bill PPO/FPPO Property or Municipal tax receipt

Letter of allotment of accommodation issued by employer/ issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, Public sector undertaking, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.

Self-Declaration (If Aadhar is voluntarily provided for identification purpose and current address is different from address available in Central Identities Data Repository Authentication of Aadhaar number using e-KYC authentication facility provided by the UIDAI is mandatory)

Document No Date:

8 DECLARATION CUM UNDERTAKING CUM SELF-CERTIFICATION

- I have read the copy of Terms and Conditions of the Account Opening Form given to me. The Terms and Conditions have been explained to me/us and having understood, I accept the same.
- I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI voluntarily for identification and /or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA, 2002
- I hereby consent that the Bank may verify the same with the UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric / OTP based authentication to the Bank. YES NO (E-KYC authentication and Aadhaar seeding is mandatory for availing DBT benefit)
- I hereby undertake that I shall submit the details of cheques issued for Rs. 5 lacs and above to the Positive Pay System, which has been made mandatory by the Bank. I understand that failure to submit or submitting incorrect cheque details will lead to the rejection of cheques and the collection of applicable cheque return charges.

PHOTO*

Please Paste Recent passport Size (Do not Staple)

Signature/Thumb impression of the Applicant

Please sign in black ink only

Place: Date:

9 FOR OFFICE USE/ATTESTATION **Documents received** **Self certified** **True copies** **Notary**

- Self-certification & documents received as part of account opening process have been verified and found correct.
- Certified that Copy of Terms and Conditions signed by Customer obtained
- Certified that the implications and conditions for the operation of the account have been explained to the depositor (only in case of illiterate applicant)
- Threshold Limit BIS Organisation Code Customer Segment
- Depositor is Illiterate Blind Staff Risk Category:* High Medium Low

Details of one or two identification marks, if any, such as a mole or scar (mandatory for illiterate applicant) Permitted to open CIF

In person verification carried out and Signature/LTI of the applicant verified by:

Official Name: Staff No: Designation

Date: SS No Signature

TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING OF SB ACCOUNTS

1. I affirm and declare that I have read over and understood the rules and regulations of the "Bank" and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/internet banking/SMS banking/Tele-Banking/Mobile Banking/Virtual Banking and any other facilities. I agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/Regulator/Government published through circulars, notifications, notice board/websites/newspaper publications, etc. I waive the rights, if any, to have personal notice in respect of such amendments/modifications. I agree that the transactions and requests executed in my account(s) through internet, mobile, tele-banking or virtual banking under my User ID and password/PIN/OTP will be legally binding on me & I am responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/details/OTP/PIN, etc., in such matters. I agree that Bank has got all the rights to debit my account for any service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/liable to recover from me. I also authorise the Bank and agree to close/discontinue my account without any notice to me (under normal circumstance, bank will not close account without giving 30 days notice indicating reason for closure). I hereby undertake to inform the Bank on any change in my communication address or constitution.
2. In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI voluntarily for identification and/or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA, 2002 and I hereby consent that the Bank may verify the same with the UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank. I wish to seed this account with NPCI mapper to enable me to receive Direct Benefit Transfer (DBT) including LPG subsidy from Govt of India (GOI) in this account. I understand that if more than one benefit transfer is due to me, I will receive all the benefit transfer in this account.
3. I confirm and declare that I am not prevented/prohibited/restricted by any applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or maintaining the accounts or to transact with the Bank in any other way.
4. I hereby consent that my personal KYC details may be downloaded from Central KYC Registry and the same may be shared with any Competent Authority. I understand that my KYC Record includes my KYC Records/Personal Information such as my name, address, date of birth, PAN number etc. I agree to receive information from the Bank/Central KYC Registry/GOI/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/e-mail address. I also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever in nature.
5. I hereby certify that I have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
6. I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter-Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
7. I certify & declare that the information provided by me for opening loan account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me signed/authenticated by me as well as in the documentary evidence provided by me for opening loan account and availing other services are, to the best of my knowledge and belief, true, correct and complete and that I have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am aware that I may be held liable for it.
8. I undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended document/information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
9. I also agree that my failure to disclose any material fact/information known to me now or in future or my failure to remedy any deficiency in documents/information/other details within the stipulated period, may invalidate me from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/GoI from time to time.
10. I also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me to provide on account of any change in law either in India or abroad in the above matter or otherwise.
11. I shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me.
12. I undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be required by the Bank.
13. I understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Diligence relating to KYC by the Bank.
14. In case the account is opened without PAN, I undertake to submit PAN on or before such date as may be notified by the Government of India, failing which the account shall cease to be operational till the time PAN is submitted, as per Prevention of Money -Laundering (Maintenance of Records) Rules 2005.
15. In case, deemed OVDs are submitted for Current Address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening, failing which I understand that my account may cease to be operational as per GOI guidelines at the material time.
16. I have received the Welcome Kit containing INB Kit and ATM card/cheque book and understand that in case of any misuse/misplacement of the contents of the Kit, the Bank will not be liable for any loss/damage.
17. I hereby certify that the Savings Bank Account would be used by me to route transactions of only non-business/non-commercial nature. In the event of occurrence of such transactions or any such transactions that may be construed as commercial/business/dubious or undesirable, the Bank reserves the right to unilaterally freeze operations in such accounts and/or close the account.
18. I have been advised of Average Monthly Balance(AMB) requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/changes and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
19. I confirm that the product features of BSBD account have been explained to me (applicable to BSBD account applicant)
20. Applicable for Small Accounts: I understand that this account shall remain operational initially for twelve months, can be extended for further twelve months on submission of evidence applied for OVD. The entire relaxation/ provisions shall be reviewed after twenty four months.
21. I have been advised that if I do not provide my mobile number, I will not be eligible for any facility of electronic transactions other than ATM cash withdrawals.
22. (Applicable for accounts opened for credit of Social Welfare Benefits) I understand that this account will be opened under BSBD category. I also understand that in case, I do not wish to continue in this BSBD account, and switch over to Regular Savings Bank account, I will have to maintain the Average Monthly Balance(AMB) applicable for Regular Savings Bank Account. I therefore undertake to maintain AMB in the account if I switch over to Regular Savings Bank Account from BSBD.
23. (Applicable for accounts opened in the name of Minors) I understand that the requirements of Average Monthly Balance(AMB) and penalty for non-maintenance will be applicable in this account once the applicant becomes Major. I therefore undertake to maintain Average Monthly Balance(AMB) from the date of attaining majority.
24. I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to inform you of any changes therein, immediately in case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting. I am aware that I may be held liable for it.
25. I confirm and undertake that I will not deal in virtual currencies and will not use my account for any services relating to virtual currencies or facilitate any person or entity in dealing with or settling Virtual Currencies.
26. I understand that in the event of failed Standing Instruction for Loan Repayment / dishonour of a cheque/NACH/ECS due to lack of funds / insufficient funds on 04 occasions during financial year no fresh cheque book would be issued., closure of account may also be considered.
27. I/We confirm that the product features of account have been explained to me
28. I acknowledge receipt of rules and regulations of Savings Bank Account.

(Signature of the Applicants/Thumb impression of the Applicants)

(Signature of the Applicants/Thumb impression of the Applicants)

SAVINGS BANK RULES (ABRIDGED)

Know Your Customer Guidelines : Any person fulfilling account opening requirements may, upon agreeing to comply with the prescribed rules, open a Savings Bank Account, provided she/he furnishes proof of identity and proof of address as required by the Bank.

Nomination & Survivorship Facility: The nomination facility is available on Savings Bank Accounts and the account holders are advised to avail of this facility for smooth settlement of claim by legal heirs in unforeseen circumstances. Nomination can be made in favour of only one nominee. In case they do not wish to make a nomination, the fact should be recorded on the account opening form under their full signature. Joint account with survivorship benefit can be operated by the survivor, in such circumstances.

Types of Accounts, Balance Stipulation 8: Service Charges : The applicants can open an account either with chequebook facility or without chequebook. The current monthly average balances prescribed for SB accounts and the charges prescribed for non maintenance of minimum balance, are available at the Banks website and Contact Centre. The information can also be obtained from Branches. There is no ceiling on maximum balance in Savings Bank account, except for Minors account.

Minors Accounts : Minors who can adhere to uniform signature and are not less than ten years old can open accounts in their single name and maintain therein a maximum balance of Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten lacs only). Minors may open joint accounts with their guardians.

How To Open An Account?: In ordinary course, applicant(s) should attend the Bank personally for completion of formalities for opening of the account. They will duly fill in and sign the prescribed application form. Applicant(s) should submit KYC documents, declaration as applicable for RBI/CBDT and two copies of his/her/ their recently taken passport size photographs. Applicants can also apply for opening an account online. Account holders signatures must be legible and well formed. Signatures should not be in capital or block letters. Each account will be given a distinctive account number. While dealing with the Bank, this number should be invariably quoted by the account holder(s). The account holders, in their self-interest, are expected to adhere to uniform signature as per specimen recorded with the Bank while operating the accounts and addressing any correspondence to the Bank.

Pass Book: The pass book and cheque book supplied to the account holder should be kept in a safe place. The Bank will not be responsible for any loss or incorrect payment attributable to the account holders neglect in this regard. For withdrawing cash by means of a withdrawal form, the pass book must be presented. Withdrawals using cheque forms and Debit card can be effected without pass book. Deposits may be made without production of the pass book. Pass book should be got updated regularly. The pass book will be returned to the account holder immediately after completion of the transaction duly updated. In case it is not collected within a weeks time, it will be returned to them by Registered A.D. post/ Courier at their cost. The account holders should carefully examine the entries in their pass books and draw the Banks attention to errors or omissions, if any. Duplicate in lieu of the lost or mutilated pass book may be issued on receipt of a written request from the account holder after necessary enquiries, completion of formalities and recovery of prescribed charges. The current charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches.

Cheque Book : The Bank will issue the first cheque book after completion of all formalities with regard to opening of the account. Bank shall issue Cheque Book subject to recovery of charges as applicable. The current charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches. The account holders must use only the cheques from the cheque books issued to them by the Bank. The Bank reserves the right to refuse payment of any cheques drawn otherwise. Ordinarily, Bank will not issue more than one cheque book at a time or before exhausting all or nearly all cheque leaves issued previously. Cheques must be written legibly. Stop payment instructions in respect of cheques issued or lost can be registered with the Bank on payment of a prescribed service charge. The current charges prescribed for this are available at the Banks website. This information can also be obtained from Branches.

General: Savings Bank account is essentially a facility to build up savings and hence must not be used as a Current Account. Bank may close an account should it have any reason to believe that the account holder has used her/his account for a purpose for which it is not allowed. "SMS alerts in response to any transaction given by the Bank is a proper communication and the borrower shall be bound by the said communication."

Deposits: Only three cash deposit transactions are allowed free of cost in a month. No restrictions on cash deposit at Non Home branch. No deposit in cash for less than Rs 10/- will be accepted. Cheques, drafts or other instruments drawn only in favour of the account holder will be accepted for credit of the account. Third party instruments endorsed in favour of the account holder will NOT be accepted. No drawings against accepted instruments will be normally permitted until these are realized. In satisfactorily conducted accounts, immediate credit will be afforded for outstation/local instruments upto the value laid down from time to time. The normal collection and out of pocket charges will be recovered. The current limit and charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches. Overdue interest will be recovered for instruments subsequently returned unpaid.

Withdrawals: The account holder can withdraw money personally from her/his ordinary Savings Bank Account by using Banks standard withdrawal form. The passbook or any one of OVD must accompany the withdrawal form. The withdrawal form can be used only for receiving payments by the account holder himself/herself. ATM cum Debit card can also be used in ATMs for cash withdrawal. The account holder cannot withdraw an amount less than Rs. 50/- . All withdrawals must be in round Rupees only. Third party payments through withdrawal forms are not permitted. A letter of authority as per the prescribed format, along with the pass book should be sent to the Bank through an authorized representative to receive payment in case the account holder is unable to attend personally to withdraw cash from her/his account. The minimum drawing permitted per cheque form is limited to Rs. 50. The maximum number of free debit entries permitted in an account depends on the AMB in the account or as decided by the Bank from time to time. Charges prescribed for exceeding this limit are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches. Cash withdrawal can be made from the accounts of the sick, old or incapacitated account holders who are unable to attend the Bank and/or also not able to put their signature or thumb impression for withdrawing cash by completing the laid down formalities.

Overdrafts: Overdrafts in Savings Bank accounts may be permitted under exceptional circumstances with prior arrangements only. Cheques drawn in excess of the balance in the account will be returned unpaid. Service charge will be recovered each time a cheque is returned unpaid for want of sufficient funds. Charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre This information can also be obtained from Branches.

Inoperative Accounts : Upon conversion of account from Inoperative status to Operative Status, Debit transactions will be enabled subject to cooling period, as decided by the Bank from time to time. Account holders are advised to operate their accounts regularly. Accounts not operated are classified as Inoperative after the stipulated time period of 24 months since last operation. The current prescribed charges in this regard are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches.

Standing Instructions : The account holder can request the Bank for effecting periodical payment of insurance premium, membership fees, etc. by debit to her/his account on payment of service charges. The current prescribed charges for Standing Instruction are available at the Banks website. This information can also be obtained from Branches.

Payment of Interest : As per RBI guidelines applicable from time to time. Interest will be calculated on a daily product basis. Interest will be credited to the account at quarterly intervals. Interest will be paid only if it works out to Re 1/- or more. There after fifty paise and more will be rounded off to the next higher rupee and anything less will be ignored. In case of accounts frozen by the enforcement authorities, "Bank shall continue to credit the interest to the account on a regular basis."

Transfer & Closure Of Account : Accounts may be transferred between branches of the Bank at the request of the account holder(s). Request for closure of account should state the reason for closure. The pass book must accompany such request. Joint accounts can be closed only at the request of all such joint signatories. Service charge at prescribed rate will be recovered if an account is closed after 14 days upto one year of its opening. The current charges prescribed for this are available at the Bank's website. This information can also be obtained from Branches. Accounts can be transferred ONLINE also.

1. An irregular RD account is one, where the instalments are not paid regularly, but the account is maintained till its maturity. Such RD accounts can be regularised by remitting the delayed instalments with applicable Penal charges.
2. For RD accounts, which have not completed 15 days, no interest shall be paid.
3. Simple interest at applicable ROI only is payable for RD accounts, which have completed 15 days, but not completed 3 months.
4. In the case of RD (regular) accounts closed before maturity, after completion of 3 months, compound interest applicable to the actual period the deposit has remained with the Bank as ruling on the date of opening the account or the contractual rate whichever is lower shall be paid. In such cases, maturity value shall be paid as applicable to the RD account concerned, for the period equivalent to completed months the deposit has remained with the Bank. A Penalty of 1% will be levied for premature closure of recurring deposits as mentioned in point (e).
5. "For premature closure/part withdrawal of Domestic/NRO/NRE term deposits, the Bank imposes a penalty of 1.00%. Such prematurely closed/part withdrawn deposits will earn interest at 1.00% below the rate as applicable for the relevant amount slab as ruling on the date of deposit and as applicable for the period run OR 1.00% below the rate at which the deposit has been accepted, whichever is lower." However, no interest will be payable on term deposits prematurely closed before completion of 7th day (for Domestic/NRO deposits). Penalty is waived for premature extension of Domestic/NRO/NRE term deposits of less than Rs. 3 Crore during the tenure, where extension is for a longer than the period originally agreed to.

Change in Rules : The Bank reserves the right to alter, delete or add to any of these Rules and service charges for which the customer will be duly notified through Bank's website and/or branch notice board.

Features of BSBD account. (i) The deposit of cash at bank branch as well as ATMs/CDMs (ii) Receipt / credit of money through any electronic channel or by means of deposit / collection of cheques drawn by Central/ State Government agencies and departments. (iii) No limit on number and value of deposits that can be made in month. (iv) Minimum 4 withdrawals including ATM withdrawals (v) ATM Card or ATM-cum-Debit Card.

Annexure - 1
Nomination Form

**FORM FOR NOMINATION, CANCELLATION OF NOMINATION AND VARIATION
OF NOMINATION IN RESPECT OF THE BANK DEPOSITS, ARTICLES IN SAFE
CUSTODY AND SAFETY LOCKERS**

*(See Sections 45-ZA, 45-ZC and 45-ZE read with Section 56 of the Banking Regulation Act,
1949 and rules 2 to 4 of the Banking Companies (Nomination) Rules, 2025)*

Branch : _____ Article No./Account No./Locker No.: _____

Bank Customer details including deposit/article in safe custody/locker: -

(*Nomination form is in respect of bank deposit/article in safe custody/locker)

*Name of Depositor/individual leaving article in safe custody/Hirer of a locker:

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

* Nature of deposit/nature of articles/nature of locker:

*Strike out whatever is not relevant

2. Nomination Details

I/We, the undersigned, hereby nominate the following individual(s) to receive the amount of the deposits or the articles in safe custody or the contents of the locker in respect of the particulars above mentioned in the event of my/our death:

Sl.No	(A)	1	2	3	4
Name of Nominee	(B)				
&Address	(C)				
&Email/Mobile number, if any	(D)				
Relationship with bank Primary Customer, if any	(E)				
Age	(F)				
Order of priority in case of successive nomination	(G)	First Nominee	Second Nominee	Third Nominee	Fourth Nominee
#Proportion of amount of deposit in percentage in case of bank deposit	(H)				
Aadhaar of Nominee (Optional)	(I)				

#In case of nomination in respect of the article in safe custody or locker, this row is to be deleted.

&The bank may allow to modify these details in e-nomination from time to time, if required.

In case if account holder/s wish to nominate only one person, to receive the amount of the deposit or the articles in safe custody or the contents of the locker, then Row (H) should be mentioned as 100% and remaining rows to be struck off under due authentication of account holder/s.

Note:

- (i) Simultaneous nomination refers to nomination of one more nominee but not exceeding four, with defined percentage and total amounting to 100%.
- (ii) Successive nomination refers to nomination in favour of one individual in order of priority and is also limited to four nominees; and the nominee lower in the order shall become effective only after the death of the nominee in the higher order.
- (iii) Row (H) above is not applicable in case of nomination in respect of the articles in safe custody/lockers.
- (iv) In respect of the deposits, out of Row (G) and (H), only one row is to be filled.
- (v) Total percentage across all nominees in Row (H) must equal 100%.
- (vi) If more than one individual is nominated, the order of priority shall be deemed to be in order in which names appear in Row (B)
- (vii) Please refer to point No.4, here below, if the nominee/s is a minor.

3. Cancellation of Nomination/Variation of Nomination:

- I/We, the undersigned, hereby declare that the above nomination is made in supersession of all the previous nominations, if any, made by me/us in respect of the deposit/article in safe custody/locker described above.
- I/We declare that the above nomination has the effect of cancelling previous nominations in respect of the bank deposit/ article in custody of bank/locker.

4. Guardian Details (if any nominee is a minor)

Sl.No.	Name of Nominee.	Name of Guardian.	Relationship with Nominee.	Address.	Email/Mobile number of guardian, if any.	Aadhaar of Nominee (Optional)
1.						
2.						
3.						
4.						

5. Declaration & Signature

- I/We declare that the information provided above is true to the best of my/our knowledge and belief. I/We understand that this nomination will supersede any previous nominations for the above-mentioned accounts(s).

(Nomination in favour of other than individual is invalid)

I/We hereby agree and acknowledge that, in case of any simultaneous claim by the nominee and my/our/minor's legal heir/s, the bank will be discharged by settling the claim in favour of the nominee. However, in case of Court order in respect of the deposit, bank shall act in accordance with such order and I/We consent to bank proceeding accordingly

Name of the Applicant 1 :	Name of the Applicant 2 :
(Signature /Thumb impression of the Applicant 1)	(Signature /Thumb impression of the Applicant 2)

Name of the Applicant 3 :	Name of the Applicant 4 :
(Signature /Thumb impression of the Applicant 3)	(Signature /Thumb impression of the Applicant 4)

(Witnesses are required only in case of applicant is illiterate and if affixing thumb-impression)

Signature of the First Witness Name : _____ Address : _____ _____ _____	Signature of the Second Witness Name : _____ Address : _____ _____ _____
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



I/We do not want to nominate any person in this account.

Name of the Applicant 1 :	Name of the Applicant 2 :
(Signature /Thumb impression of the Applicant 1)	(Signature /Thumb impression of the Applicant 2)

Name of the Applicant 3 :	Name of the Applicant 4 :
(Signature /Thumb impression of the Applicant 3)	(Signature /Thumb impression of the Applicant 4)

(Witnesses are required only in case of applicant is illiterate and if affixing thumb-impression)

Signature of the First Witness Name : _____ Address : _____ _____ _____	Signature of the Second Witness Name : _____ Address : _____ _____ _____
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Date : _____

Place : _____

Name of Depositor(s)

@ In case of individual who cannot read and /or write, the signature means thumb-impression of such individual, which should be attested by two witnesses.

6. Acknowledgement (For Bank Use Only)

Received Nomination Form from: _____ Date of Receipt: ____/____/____

Article No./Account No./Locker No.: _____

Recorded on CBS : Yes / No Reference Number: _____

Signature of Bank Official: _____

Name & Designation: _____

Seal & Date: _____

Instructions for Bank Customer:

1. You may nominate more than one individual, with clearly defined share percentages.
2. You may appoint successive nominees. In case of successive nomination, nomination shall be effective only in favour of one individual in order of priority in which their name appears in above table of nomination details. It may be noted that nomination of any nominee lower in the order of nomination shall become effective only after the death of all the nominees whose names are higher in the order of nomination.
3. Nomination is applicable to all bank accounts/lockers/articles detailed above unless otherwise specified.
4. This form or the details in this form, as circumstances may admit, can be submitted electronically where the bank enables e-nomination.
5. If deposit is made in the name of minor or article is left in safe custody in the name of minor or locker is solely hired in the name of minor, this nomination form should be signed by an individual lawfully entitled to act on behalf of the minor.

Annexure - 2
Income-tax Rules, 1962
FORM NO.60

[See second proviso to rule 114B]

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

1	First Name		Middle Name		Surname		
2	Date of Birth / Incorporation of declarant						
3	Father's Name (in case of individual)						
4	Flat No./Floor No.						
5	Name of premises / Block Name & No.						
6	Road / Street / Lane						
7	Area / Locality						
8.	Town/District/State						
9	Pin code						
10	Telephone Number (with STD code)						
11	Mobile Number						
12	Amount of Transaction (Rs.)						
13	Date of transaction						
14	In case of transaction in joint names, number of persons involved in the transaction						
15	Mode of transaction	Cash	Cheque	Card	Draft/Banker's Cheque	Online transfer	Other
16	Aadhaar Number issued by UIDAI (if available) :						
17	If applied for PAN and it is not yet generated enter date of application and acknowledgement number : _____ Date :_____						
18	If PAN not applied, fill estimated total income (including income of spouse, minor child etc., as per section 64 of Income-tax Act, 1961) for the financial year in which the above transaction is held (a) Agricultural income (Rs.)_____ (b) Other than Agr Income (Rs.)_____						
19	Details of document being produced in support of identify in Column 1 (Refer Instruction overleaf)		Document code	Document identification number	Name and address of the authority issuing the document		
20	Details of document being produced in support of identify in Column 4 to 13 (Refer Instruction overleaf)		Document code	Document identification number	Name and address of the authority issuing the document		

Verification

I, _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my / our estimated total income (including income of spouse, minor child etc., as per section 64 of Income Tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today the _____ day of _____ 20 _____

Place :

(Signature of declarant)

Note:

1. Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable,
 - (i) in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
 - (ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine.
2. The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and column 21 is duly filled.

Instruction:

- (1) Documents which can be produced in support of identity and address (not required if applied for PAN and item 20 is filled): -

Sl. No.	Nature of Documents	Document Code	Proof of Identity	Proof of Address
A	For Individuals and HUF			
1	AADHAR card	01	Yes	Yes
2	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person	02	Yes	Yes
3	Elector's photo identity card	03	Yes	Yes
4	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person	04	Yes	Yes
5	Driving License	05	Yes	Yes
6	Passport	06	Yes	Yes
7	Pensioner Photo card	07	Yes	Yes
8	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job Card	08	Yes	Yes
9	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person	09	Yes	Yes
10	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 49A	10	Yes	Yes

Sl. No.	Nature of Documents	Document Code	Proof of Identity	Proof of Address
11	Certificate from employer as per annexure B prescribed in Form 49A	11	Yes	Yes
12	Kisan passbook bearing photo	12	Yes	No
13	Arm's license	13	Yes	No
14	Central Government Health Scheme/ Ex -Service men contributory Health Scheme	14	Yes	No
15	Photo identity card issued by the government/Public Sector Undertaking	15	Yes	No
16	Electricity bill (<i>Not more than 3 months old</i>)	16	No	Yes
17	Landline Telephone bill (<i>Not more than 3 months old</i>)	17	No	Yes
18	Water bill (<i>Not more than 3 months old</i>)	18	No	Yes
19	Consumer gas card/book or piped gas bill (<i>Not more than 3 months old</i>)	19	No	Yes
20	Bank Account Statement (<i>Not more than 3 months old</i>)	20	No	Yes
21	Credit Card statement (<i>Not more than 3 months old</i>)	21	No	Yes
22	Depository Account Statement (<i>Not more than 3 months old</i>)	22	No	Yes
23	Property registration document	23	No	Yes
24	Allotment letter of accommodation from Government	24	No	Yes
25	Passport of spouse bearing name of the person	25	No	Yes
26	Property tax payment receipt (<i>Not more than one year old</i>)	26	No	Yes
B	For Association of persons (Trusts)			
	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner	27	Yes	Yes
C	For Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local authority or Artificial Juridical Person)			
	Copy of Agreement or copy of certificate of registration issued by Charity commissioner or Registrar of Cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person.	28	Yes	Yes

- (2) In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above-mentioned documents as proof of Identity and Address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian.
- (3) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.
- (4) In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in Sl. No. 18 and the total amount of transaction is to be filled in Sl. No. 16.

In case the estimated total income in column 22b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 21 and furnish proof of submission of application.

Annexure - 3

Details of Related Person (To be filled for minor)

Customer ID : CKYC No.:

Account No.:

Name*: FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

Addition of Related Person Deletion of Related Person

KYC of Related Person (If Available)*

Related Person type* Guardian of Minor Assignee Authorised Representative

Prefix Name*: FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

(If KYC Number and name are provided, below details are optional)

PROOF OF IDENTITY(POI) OF RELATED PERSON*

- A-PASSPORT
- B-VOTER'S IDENTITY CARD
- C-DRIVING LICENCE
- D-UID(AADHAR)
- E-NREGA JOB CARD
- F-LETTER ISSUED BY NATIONAL POPULATION REGISTER CONTAINING DETAILS OF NAME & ADDRESS
- G-OTHERS (Any Document notified by the Central Government/RBI)

Document No/Identification Number*

Issue date:* d d m m y y y y Expiry Date(if Applicable):* d d m m y y y y

Remarks : _____

FATCA Declaration Form

Customer ID : CKYC No.:

Account No.:

Name*: FIRSTNAME MIDDLENAME LASTNAME

Prefix

Citizenship*: IN-India Others Country Name:

Place/City of Birth*: Country of Birth*:

Address*

City/Village*: District*:

State*: Pin*:

Multiple Tax Residency: Details of Country of Tax Residence in India, and/or in USA@ And /or In any other Country or Territory Outside India as Under:

Country of Tax Residence#	Tax Identification number or equivalent if issued by jurisdiction	Identification type (TIN or Other, please specify)

- @ * A citizen of US including individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship)
- * A person residing in US including US green card holder
- * Certain persons who spend more than 180 days in US each year

Address in the Jurisdiction/Country -where the Applicant is Resident out side India for Tax Purposes

Address*

City/Village*: District* :

Sub-District: State* :

Country Name* ZIP/Post Code*

Place:

Date: _____

Signature/thumb impression of the Applicant/Applicants

4. पता विवरण	वर्तमान	स्थायी	विदेश में
पते का प्रकार	<input type="checkbox"/> निवास/व्यवसाय	<input type="checkbox"/> निवास	<input type="checkbox"/> व्यवसाय <input type="checkbox"/> पंजीकृत कार्यालय <input type="checkbox"/> अनिर्दिष्ट
पता			
शहर/गाँव*:			जिला*:
राज्य*:			पिन*:
			देश का नाम :

5. पता विवरण	पत्राचार	स्थानीय	वर्तमान / स्थायी पते के समान
पते का प्रकार	<input type="checkbox"/> निवास/व्यवसाय	<input type="checkbox"/> निवास	<input type="checkbox"/> व्यवसाय <input type="checkbox"/> पंजीकृत कार्यालय <input type="checkbox"/> अनिर्दिष्ट
पता			
शहर/गाँव*:			जिला*:
राज्य*:			पिन*:
			देश का नाम :

6. एल जी डी कोड

*राज्य कोड _____ * जिला कोड _____ * उप जिला कोड _____ स्थानीय निकाय कोड _____

स्थानीय निकाय का प्रकार _____ * गाँव का कोड _____ गाँव की स्थिति _____

राज्य का नाम _____ जिले का नाम _____ उप जिले का नाम _____

स्थानीय निकाय का नाम _____ स्थानीय निकाय का प्रकार _____ गाँव का नाम _____

7. यदि दिए गए आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) में वर्तमान पता नहीं है, तो कृपया नीचे दिया गया कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उपभोक्ता बिल पीपीओ/एफपीपीओ प्रापर्टी या मुनिसिपल टैक्स की रसीद

नियोक्ता / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किया गया आवास आबंटन पत्र। इसी तरह आधिकारिक आवास आबंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के लीव और लाइसेंस करार

स्व-घोषणा (यदि स्वेच्छा से पहचान के उद्देश्य के लिए आधार प्रदान किया गया है और वर्तमान पता केंद्रीय पहचान डेटा पुनर्प्राप्ति पता में अलग-अलग है तो, यूआईडीएआई - द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके आधार नंबर का प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।

दस्तावेज संख्या तारीख :

8. घोषणा सह वचन सह स्व प्रमाणन

- मुझे दी गई खाता खोलने के फॉर्म नियम और शर्तों की प्रति मैंने पढ़ ली है। नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने / हमने इन्हें समझ लिया है। मैं/हम उन्हें स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए स्वेच्छा से पहचान और / या पते के प्रमाण के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।
- मुझे इस बात पर सहमति है कि बैंक यूआईडीएआई के साथ इसका सत्यापन कर सकता है और बायोमेट्रिक/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक को पहचान और पता जारी करने के लिए यूआईडीएआई को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता हूँ। हाँ नहीं
(डी बी टी कॉलाम उठाने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग अनिवार्य है।)
- मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि 5 लाख रुपये और उससे अधिक के लिए जारी किए गए चेक का वविरण पॉजिटिव पे सस्टिम में जमा करूंगा, जिस बैंक द्वारा अनविरय कर दिया गया है। मैं सहमत हूँ कि गलत चेक वविरण जमा करने या प्रस्तुत करने पर चेक वफिलता के कारण अस्वीकृत हो जाएंगे तथा चेक वफिलता पर लागू प्रतविरता प्रभार वसूल किया जाएगा।

फोटो

कृपया हाल ही के पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं (स्टेपल न करें)

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें

स्थान : दिनांक :

9. कार्यालय के उपयोग / अनुप्रमाणन हेतु	प्राप्त दस्तावेज	स्व प्रमाणित	सत्यापित	नोटरी
1. खाता खोलने की प्रक्रिया के लिए प्राप्त स्व प्रमाणन व दस्तावेज को सत्यापित किया गया और सही पाया गया है।				
2. प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित नियम व शर्तों की प्रति प्राप्त की गई है।				
3. प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के लिए निहितार्थ और शर्तें जमाकर्ता को समझाई गई हैं (अशिक्षित आवेदक के मामले में अनिवार्य)				
4. आरम्भिक सीमा बी आई एस संगठन कूट ग्राहक खंड				

सी आई एफ खोलने की अनुमति है

जमाकर्ता का प्रकार निरक्षर दृष्टि बाधित स्टाफ S T A F F P F जोखिम श्रेणी* उच्च मध्यम निम्न

एक या दो पहचान चिहनों का विवरण, यदि कोई हो, जैसे कोई तिल या निशान (अशिक्षित आवेदक के लिए अनिवार्य)

सत्यापन व्यक्तिगत रूप से किया गया और आवेदक का हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान सत्यापित किया गया

प्राधिकारी का नाम: कर्मचारी संख्या पदनाम

तिथि एसएस न. हस्ताक्षर

व्यक्तिगत खाता खोलने का फार्म (भाग-II)

(बचत बैंक, चालू खाता और सावधि जमा)

दिनांक: दि दि म म व व व व

(* को भरना अनिवार्य है। कृपया केवल बड़े अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग करें (केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

प्रथम आवेदक ग्राहक आईडी

द्वितीय आवेदक ग्राहक आईडी

खाता संख्या :

बैंक/शाखा द्वारा नाम और कोड नंबर वाली रबर मुहर लगाई जाए

मैं/हम आपसे अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं कि आप मेरा/ हमारा जमा खाता अपनी शाखा / बैंक में निम्नानुसार खोलें: (टिक (✓) संबंधित खाता)

1. खाते का प्रकार

- बचत खाता बीएसबीडीए बीएसबीडीए लघु खाता
- चालू खाता (व्यक्तिगत) मीयादी जमा/ आरडी कैपिटल गेन (एसबी)

डीबीटी/छात्रवृत्ति खाता हाँ नहीं

एसएनए (उत्पाद कोड - 140) अथवा सीएनए (उत्पाद कोड- 142)

अभिभावक का खाता अथवा बच्चे का खाता अभिभावक का खाता नंबर

नोट: बच्चों के खाते के लिए, संबंधित अभिभावक खाते की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है।

2. परिचालन का तरीका

- स्वयं दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी कोई एक या उत्तरजीवी संयुक्त रूप से परिचालित अन्य _____

3. अपेक्षित सेवाएं

1. एटीएम -सह-डेबिट कार्ड

- प्रथम आवेदक हाँ नहीं
- द्वितीय आवेदक हाँ नहीं

नाम जैसा कार्ड पर चाहिए

<input type="text"/>																			
<input type="text"/>																			

कार्ड प्रकार : प्रथम आवेदक - (ए) रूपे (बी) वीजा (सी) मास्टर द्वितीय आवेदक - (ए) रूपे (बी) वीजा (सी) मास्टर

अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स व्यापारियों के साथ लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक अनिवार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की अक्षम स्थिति के साथ कार्ड की आपूर्ति की जाएगी जिसे आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध चैनल के साथ सक्षम किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग बिना पिन के, समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक संपर्क रहित लेनदेनों के लिए किया जा सकता है। (क्रमांक 2 से 6 तक की सेवा के लिए मोबाइल संख्या अनिवार्य है)

2. चेक बुक हाँ नहीं

(केवल नियमित बचत/चालू खाते के लिए)

(पूँजीगत लाभ खाते के लिए - चेकबुक की सुविधा उपलब्ध नहीं है)

(बीएसबीडी खाते के लिए - कुल पात्रता के भीतर आवश्यकता आधारित चेकबुक, उदाहरण के लिए एक वर्ष में 10 पूर्ण की 5 चेकबुक, एक वर्ष में अधिकतम 48 आहरण की सीमा के साथ।)

3. इंटरनेट बैंकिंग चाहिए

लेन-देन अधिकार चाहिए

- प्रथम आवेदक हाँ नहीं
- द्वितीय आवेदक हाँ नहीं

(दोनों में से एक या उत्तरजीवी मोड द्वारा संचालित केवल एकल परिचालित खातों के लिए उपलब्ध है। पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी मोड के रूप में परिचालित खातों के मामले में, आईएमबी (इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग) सुविधा केवल पहले आवेदक के लिए उपलब्ध होगा।)

4. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट हाँ नहीं
5. फोन बैंकिंग सेवाएं हाँ नहीं
6. मोबाइल बैंकिंग हाँ नहीं
7. पासबुक चाहिए (बचत खाता के लिए) हाँ नहीं
8. ई स्टेटमेंट(मासिक अंतराल पर) पेपर प्रति के बदले चाहिए नहीं चाहिए
9. आईपीएस सेवाएं हाँ नहीं
10. यूपीआई आईडी चाहिए हाँ नहीं

4. मीयादी जमा : निम्नलिखित उत्पादों / सुविधाओं के लिए, कृपया विकल्प/विवरण प्रस्तुत करें

- मीयादी जमा (एफडीआर) कामधेनु जमा (केडीआर) वार्षिकी जमा केन टैक्स सेवर कैपिटल गेन (टीडीआर)

राशि : रु. _____ रु. (शब्दों में) _____

अवधि : _____ वर्ष _____ मास _____ दिन

अशिक्षित जमाकर्ता(ओं) के मामले में जमाकर्ता का नाम, राशि और जमा की अवधि, पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा प्रमाणित।	पर्यवेक्षक/अधिकारी के हस्ताक्षर
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

सावधि जमा के विषय में देय ब्याज # मासिक त्रैमासिक कैलेंडर तिमाही छमाही वार्षिक

परिपक्वता निर्देश@ स्वतः नवीनीकरण * मूल और निवेश वापसी ब्याज स्वतः नवीनीकरण * मूल एवं ब्याज मूलधन एवं ब्याज भुगतान रु. _____ के आंशिक राशि सहित स्व-नवीकरण

* (नवीनीकरण के दिन प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए स्व-नवीनीकरण किया जाएगा।)

@ # (सभी देय ब्याज और परिपक्वता निर्देश विकल्प सभी बैंकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। विकल्पों के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क करें।)

परिपक्वता तिथि के पहले का आहरण / आंशिक आहरण / विस्तारण आदि लागू दंड आकर्षित करते हैं।

भुगतान निर्देश (परिपक्वता प्रक्रिया / शेष राशि) :

मेरे खाते में जमा द्वारा

बैंक चेक/ड्राफ्ट जारी करें

5. नित्य निधि जमा

भुगतान निर्देश: परिपक्वता राशि कासा खाताधारक के खाते नंबर IFSC कोड में जमा की जाएख (यदि खाता किसी अन्य बैंक में है)

बचत खाता खोलने के लिए नियम व शर्तें

- मैं संपुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने 'बैंक' तथा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं जिनमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं, किंतु केवल यही नहीं, से संबंधित नियम व विनियम पढ़ और समझ लिए हैं। मैं बैंक/नियामक/सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सूचना पत्र/वेबसाइटों/समाचार-पत्र प्रकाशनों आदि के माध्यम से इनमें सूचित संशोधनों/परिशोधनों को अनुपालन करने के लिए करार करता/करती हूँ। इन संशोधनों/परिशोधनों के संबंध में मुझे व्यक्तिगत सूचना दिए जाने के अधिकारों, यदि कोई हों, का परित्याग करता/करती हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे यूपीआई एवं पासवर्ड/पिन/ओटीपी के रहत इंटरनेट, मोबाइल, टेलीबैंकिंग अथवा वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे खाते/तो) में किए गए लेनदेन व अनुरोध मुझ पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे और मैं ऐसे मामलों में अधिप्रमाणन परिचय विवरणों तथा किसी अन्य जानकारी/विवरणों/ओटीपी/पिन, आदि की गुप्तता और गोपनीयता के लिए जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। मैं सहमत होता/देती हूँ कि बैंक को सभी अधिकार हैं कि वह जो कोई सेवा प्रभार, खर्च या अन्य देय राशियाँ मुझे वसूल करने का हकदार/देनदार है, मेरे खाते के नाम (डेबिट) कर सके। मैं बैंक को प्राधिकृत भी करता/करती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरा खाता बंद/समाप्त किया जा सकता है। मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे पत्राचार के पते अथवा संगठन में कोई परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करूंगा/करूंगी।
- आधार ब्योरे के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए पहचान करने और/अथवा पते के प्रमाण के तौर पर स्वेच्छा से प्रस्तुत किया है और मैं एतद्वारा सहमत होता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई के साथ इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता/करती हूँ कि वह बैंक को बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के माध्यम से मेरी पहचान और मेरा पता जारी कर सकता है। मैं इस खाते को एनपीसीआई मैपर के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिससे मैं इस खाते में भारत सरकार से एलपीजी सब्सिडी सहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ अंतरण मिलना होगा तो मुझे इस खाते में सभी लाभ अंतरण मिलेंगे।
- मैं पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे बैंक में खाता खोलने और/अथवा खाता रखने या किसी अन्य रूप में बैंक के साथ लेनदेन करने से किन्हीं लागू कानूनी/नियामक/अनुबंधात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा प्रतिकृत/प्रतिषिद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- मैं करार करता/करती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत केवाईसी ब्योरा केंद्रीय केवाईसी रजिस्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है। मैं एतद्वारा सहमत होता/देती हूँ कि मैं बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से जानकारी प्राप्त करूंगा/करूंगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा कोई एसएमएस/ई-मेल प्राप्त न होने पर भी वाली किसी हानि या क्षति, चाहे जो कोई भी हो, के लिए बैंक देनदार न ही होगा।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस मामले में मैंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155(ई) दिनांक 7 अगस्त 2015 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के अंतर्गत और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संदर्भ संख्या डीबीआर. एएमएल.बीसी.नं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के अंतर्गत लागू नियमों और बाद में इनमें हुए परिशोधनों/संशोधनों के अनुसार अपनी हैसियत घोषित की है।
- मैं समझता/समझती हूँ, स्वीकार करता/करती हूँ और प्राधिकृत करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासी स्थिति और/अथवा उसके तहत निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते(तो) का ब्योरा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) और/अथवा ऐसी ही किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करना होगा।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऋण खाता खोलने और यहाँ अन्य सेवाएं प्राप्त करने या वेबसाइट के माध्यम से/इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे मुझ पर लागू है/हैं। ऋण खाता खोलने के लिए और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं/जिससे मैंने अधिप्रमाणित किया है या जिसके लिए मैंने दस्तावेजी साक्ष्य दिया है, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं है जिससे मेरे खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल अकाउंट अथवा अन्य रिपोर्टेबल खाते या अन्य किसी खाते के निर्धारण/श्रेणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि यहाँ मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना एवं जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या तात्त्विक तथ्य को दबाई हुई पाई जाती है तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- मैं इस जिम्मेदारी के लिए वचन देता हूँ कि तत्काल घोषणा और प्रकटीकरण करूंगा/करूंगी और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख या यहाँ उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर या कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी अधिक से अधिक 30 दिनों में दूंगा/दूँगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि मैं नया और वैध स्व-प्रमाणन दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जब भी मांग की जाएगी उपलब्ध कराऊंगा/कराऊँगी; यहाँ की गई सभी घोषणाएं और दिए गए वचन भी यहाँ मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज/जानकारी में किए गए ऐसे सभी परिशोधन/संशोधन भी तब तक लागू होंगे जब तक कि बैंक को उपयुक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते।
- मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुझे इस समय या भविष्य में ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी के प्रकटीकरण में चूक या दस्तावेजों/सूचना/अन्य ब्योरे में किसी कमी को निर्धारित समय में दूर करने में मेरे द्वारा कोई चूक किए जाने पर मैं खाते में लेनदेन से आविधिमन्य हो जाऊँगा/जाऊँगी और बैंक अपने अधिकारों के तहत उक्त प्रयोजन से मेरे खाते के परिचालन प्रतिबंधित करने या इसे बंद करने या किसी नियामक को और/अथवा सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकरण/भारतीय रिजर्व बैंक इसकी सूचना दे सकेगा या सीबीडीटी/भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक द्वारा उचित समझी गई कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा।
- मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि कोई अन्य विवरण बैंक को प्रस्तुत और सूचित करूंगा/करूंगी जो उपर्युक्त मामले में या किसी अन्य मामले में भारत में या विदेश में किसी कानून में कोई परिवर्तन होने के कारण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- मैं बैंक को उस प्रत्येक हानि/नुकसान की क्षतिपूर्ति करूंगा/करूंगी जो बैंक को यहाँ प्रदत्त ब्योरे में कोई दोष/गलती के कारण या मेरे द्वारा गलत और अधूरी जानकारी देने के कारण होगा।
- मैं वचन देता/देती हूँ कि बैंक को अपेक्षानुसार समय समय पर केवाईसी जानकारी को अद्यतन करने के लिए आवश्यक नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
- मैं समझता/समझती हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक सम्यक तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) पूरी करने के बाद ही यह खाता सक्रिय किया जाएगा और इसमें नाम की अनुमति दी जाएगी।
- यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उस तारीख को या उसके पहले पैन प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, ऐसा धनशोधन (अभिलेख रखरखाव) नियमावली 2005 के अनुसार न करने पर पैन प्रस्तुत करने के समय तक खाते में परिचालन नहीं किया जा सकेगा।
- यदि खाता खोलते समय वर्तमान पते के लिए वैध समझा गया कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं खाता खोलने के 3 मास में वर्तमान पते के प्रमाणस्वरूप आधार या कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उस समय मेरा खाता परिचालित नहीं रहेगा।
- मुझे स्वागत किट प्राप्त हो गई है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग किट और एटीएम/चेक बुक शामिल है और मैं समझता/समझती हूँ कि किट के सामग्री के किसी दुरुपयोग/गलत जगह पर रख दिए जाने के कारण बैंक किसी हानि/क्षति के लिए देनदार नहीं होगा।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बचते बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल गैर-व्यावसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन के लिए किया जाएगा। यदि ऐसा कोई लेनदेन किया जाता है या ऐसा कोई लेनदेन वाणिज्यिक/व्यावसायिक/संदेहजनक या अवांछनीय पाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार है कि उस खाते में एकतरफा परिचालन रोक दे और/अथवा उस खाते को बंद कर दे।
- मुझे खोले जाने वाले खाते के औसत मासिक शेष (एएमबी) की अपेक्षा के बारे में बताया गया है और मैंने इसे समझ लिया है कि इन अपेक्षाओं में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है और ये संशोधन/परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस आशय की सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
- मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं (बीएसबीडी खाते के लिए आवेदन हेतु लागू) मुझे स्पष्ट कर दी गई हैं।
- छोटे खातों के लिए लागू। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह खाता प्रारंभ में बारह महीने के लिए परिचालित रहेगा और ओवीडी के लिए लागू साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर इसे और बारह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। पूरी छूट/प्रावधानों की समीक्षा चौबीस महीने के बाद की जाएगी।
- मुझे बताया गया है कि यदि मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दूंगा तो मैं एटीएम नकदी आहरण को छोड़कर अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सुविधा के लिए पाल नहीं रहूंगा/रहूंगी।
- (समाज कल्याण लाभों के लिए खोले गए खातों हेतु लागू)
- मैं समझता/समझती हूँ कि यह खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैं बीएसबीडी खाता जारी नहीं रखना चाहूंगा/चाहूँगी और सामान्य बचत बैंक रखना चाहूंगा/चाहूँगी तो मुझे सामान्य बचत बैंक खाते के लिए आवश्यक औसत मासिक शेष (एएमबी) रखना होगा। इसलिए मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं सामान्य बचत बैंक खाता रखना चाहूंगा/चाहूँगी तो मुझे खाते में एएमबी अवश्य बनाए रखना होगा।
- (अवयस्कों के नाम में खोले गए खातों के लिए लागू)
- मैं समझता/समझती हूँ कि आवेदक के वयस्क होने ही औसत मासिक शेष (एएमबी) की अपेक्षा और इस अपेक्षा को पूरा न किए जाने पर इस खाते में दंड लगाया जाएगा। अतः मैं वचन देता हूँ कि मेरे वयस्क होने की तिथि से मैं औसत मासिक शेष राशि(एएमबी) बनाए रखूंगा/रखूंगी।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं वचन देता/देती हूँ कि इनमें कोई परिवर्तन होने पर तत्काल आपको सूचित करूंगा/करूंगी और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इनमें से कोई विवरण झूठे या असत्य या भ्रामक या तात्त्विक तथ्य को दबाने वाले पाए गए तो मैं इसके लिए देनदार रहूंगा/रहूंगी।
- मैं पुष्टि करता हूँ कि मैं आभासी मुद्राओं में कारोबार नहीं करूंगा और आभासी मुद्राओं से संबंधित किसी भी सेवा के लिए अपने खाते का उपयोग नहीं करूंगा या आभासी मुद्राओं के साथ कारोबार या निपटान में किसी व्यक्ति या इकाई को सुविधा नहीं दूंगा।
- मैं समझता हूँ कि वित्तीय वर्ष के दौरान 04 अवसरों पर धन की कमी को वजह से ऋण चुकौती / चेक अस्वीकरण / एनएसीएच / ईसीएस के लिए असफल स्थायी निर्देश की स्थिति में कोई नया चेक बुक जारी नहीं की जाएगी, खाते को बंद भी किया जा सकता है।
- मैं / हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्पाद से संबंधित खाते की विशेषताएं मुझे बता दी गई हैं।
- मैं बचत बैंक खाते के नियमों और विनियमों की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ।

(आवेदकों के हस्ताक्षर / आवेदकों के अंगूठे का निशान)

(आवेदकों के हस्ताक्षर / आवेदकों के अंगूठे का निशान)

बचत बैंक नियम (संक्षेप में)

अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश: खाता खोलने की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति, निर्धारित नियमों का पालन करने की सहमति देकर, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्त वह बैंक द्वारा अपेक्षित पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा: नामांकन सुविधा बचत बैंक खातों में उपलब्ध है और खातेदारों को सूचित किया जाता है कि अकल्पित परिस्थितियों में कानूनी वारिसों द्वारा दावे के शांतिपूर्ण निपटान के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जाए। नामांकन केवल एक नामिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते तो खाता खोलने के फॉर्म में यह तथ्य दर्ज किया जा सकता है जिस पर उन्हें अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे। उत्तर जीविता लाभ वाले संयुक्त खाते का परिचालन उन परिस्थितियों में उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकता है।

खातों के प्रकार, शेष संबंधी शर्त और सेवा प्रभार: आवेदक चेकबुक सुविधा या बिना चेकबुक खाता खोल सकते हैं। बचत बैंक खातों के लिए निर्धारित वर्तमान मासिक औसत शेष तथा न्यूनतम शेष न रखने पर निर्धारित प्रभार बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। नाबालिग के खातों के सिवाय, बचत बैंक खाते में अधिकतम शेष राशी के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

अवयस्कों के खाते: अवयस्क जो एकसमान हस्ताक्षर रख सकते हैं और जिनकी आयु 10 वर्ष से कम नहीं है अपने एकल नाम में खाते खोल सकते हैं और उनमें ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख केवल) की अधिकतम शेष राशि जमा रख सकते हैं। अवयस्क अपने संरक्षकों के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं।

खाता कैसे खोलें? : सामान्यतया, आवेदक (को) को खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित आवेदन पत्र विधिवत स्वयं भरे और हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक (को) को केवाईसी दस्तावेज, भारतीय रिजर्व बैंक/सीबीडीटी को जैसे लागू है तदनुसार घोषणा करनी होगी और हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के अपने दो फोटो प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। खातेदारों के हस्ताक्षर ठीक से किए हुए और पठनीय होने चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में या ब्लॉक लैटर्स में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक अलग खाता क्रमांक दिया जाएगा। बैंक के साथ लेनदेन करते समय खातेदार (रौं) को अपना खाता क्रमांक अवश्य उद्घृत करना चाहिए। खातेदारों के अपने हित में है कि वे बैंक में दर्ज कराए गए नमूना हस्ताक्षरों के अनुसार खाता परिचालित करते समय और बैंक के साथ कोई पत्राचार आदि करते समय समान हस्ताक्षर करें।

पासबुक: खातेदार को दो गई पासबुक और चेकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खातेदारों की लापरवाही के कारण कोई हानि या गलत भुगतान होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण फॉर्म द्वारा नकदी निकालते समय पास बुक अवश्य प्रस्तुत की जाए। चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके आहरण बिना पास बुक भी किया जा सकता है। राशि जमा करते समय पास बुक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पास बुक नियमित रूप से अद्यतन कराई जाए। लेनदेन पूरा होने के तुरंत बाद पास बुक विधिवत अद्यतन करके खातेदार को लौटा दी जाएगी। यदि यह एक सप्ताह के भीतर वापस प्राप्त नहीं की जाती है तो यह रजिस्टर्ड ए.डी. डाक/कूरियर द्वारा लौटा दी जाएगी, जिसका खर्च खातेदार को वहन करना होगा। खातेदार पास बुकों में की गई प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर लें और यदि कोई भूल या चूक दो तो इसे बैंक के ध्यान में लाएं। गुम हुई या कटी-फटी पास बुक के बदले डुप्लीकेट पास बुक खातेदार के लिखित अनुरोध पर आवश्यक पृच्छाछ करने, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित प्रभार वसूल करने के बाद जारी की जाएगी। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक: बैंक पहली पास बुक खाता खोलने के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी करेगा। बैंक चेक बुक लागू प्रभार वसूल करके ही जारी करेगा। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र में उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातेदार बैंक द्वारा उन्हें जारी चेक बुकों का ही उपयोग करें। बैंक को यह अधिकार है कि वह अन्य किसी प्रकार से जारी किन्हीं चेकों का भुगतान करने से इनकार कर दे। सामान्यतया, बैंक एक बार में एक से अधिक चेक जारी नहीं करेगा या पिछली बार जारी चेक बुक के सभी पन्ने समाप्त होने के पहले या सभी चेक पन्ने लगभग समाप्त होने पर जारी करेगा। चेक ऐसे लिखे जाने चाहिए कि इन्हें ठीक से पढ़ा जा सके। जारी या गुम हुए चेकों के संबंध में भुगतान रोकने के अनुरोध निर्धारित सेवा प्रभार भुगतान करके बैंक में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य: बचत बैंक खाता मूलतः बचत राशि को जमा करने की एक सुविधा है। इसका उपयोग चालू खाते के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बैंक के पास यह मानने का अधिकार होगा कि खातेदार ने अनुमत प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खाते का उपयोग किया है तो बैंक उस खाते को बंद कर देगा। बैंक द्वारा किसी भी लेनदेन के जवाब में एसएमएस अलर्ट उचित संचार माना जाएगा तथा धाराकर्ता उक्त संचार से बाध्य होगा।

जमा राशियां: केवल तीन नकदी जमा लेनदेन एक महीने में निःशुल्क किए जा सकते हैं। नॉन होम शाखा में नकदी जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। ₹ 10/- से कम राशि जमा करने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत जो खातेदार के नाम में आहरित खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खातेदार के पक्ष में परांकित अन्य पक्ष लिखत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वीकृत लिखतों पर कोई आहरण तब तक सामान्यतया स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनकी उगही नहीं की गई होगी। संतोषजनक ढंग से संचालित खातों में बाहरी / स्थानीय लिखतों की राशि समय समय पर निर्धारित मूल्य तक तत्काल जमा कर दी जाएगी। सामान्य कलेक्शन और ऑउट ऑफ पॉकेट चार्जिस वसूल किए जाएंगे। वर्तमान सीमा और इसके लिए निर्धारित चार्जिस बैंक वेबसाइट और संपर्क केंद्र में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अतिरिक्त ब्याज बिना भुगतान वापस आए लिखतों पर वसूल किया जाएगा।

खाते से पैसा निकालना (आहरण): खातेदार बैंक के मानक आहरण फॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से स्वयं पैसा निकाल सकता है। आहरण फॉर्म के साथ पासबुक या कोई भी एक आधिकारिक वैध दस्तावेज आवश्यक है। आहरण फॉर्म खातेदार द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का भी एटीएम से पैसा निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। खातेदार ₹ 50 से कम राशि नहीं निकाल सकता। सभी आहरण केवल पूर्ण रुपये में होने चाहिए। अन्य पक्ष भुगतान आहरण फॉर्म से करने की अनुमति नहीं है। यदि खातेदार स्वयं पैसा निकालने के लिए आने में असमर्थ हो तो किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक प्राधिकार-पत्र निर्धारित प्रारूप में पास बुक के साथ खाते से नकद पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक को भेजा जाना चाहिए। किसी एक चेक फॉर्म से कम से कम ₹ 50 की राशि निकाली जा सकती है। किसी खाते से अधिकतम कितनी निःशुल्क डेबिट प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खाते में कितना औसत मासिक शेष है या बैंक भी यह राशि समय समय पर निर्धारित कर सकता है। इस सीमा से अधिक प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। नकद आहरण बीमार, वृद्ध या अक्षम खाताधारकों के खातों से की जा सकती है, जो बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं और/या निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नकदी निकालने के लिए अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने में सक्षम नहीं हैं।

ओवरड्राफ्ट : बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट केवल पूर्व व्यवस्थाओं से असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत किया जाएगा। खाते में शेष से अधिक राशि के चेक भुगतान किए बिना वापस कर दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त शेष न होने पर बिना भुगतान वापस आने वाले एक चेक के लिए हर बार सेवा प्रभार वसूल किए जाएंगे। निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं भी प्राप्त की जा सकती है।

अपरिचालित खाते: खातेदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते नियमित रूप से परिचालित करें। अपरिचालित खातों को पिछले खाता परिचालन के 24 महीनों के निर्धारित समय में अपरिचालित के रूप में श्रेणिबद्ध कर दिया जाएगा। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अधिदेश: खातेदार बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह आवधिक रूप से बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि का भुगतान सेवा प्रभार वसूल कर उसके खाते में नामे डालकर करे। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार समय समय पर लागू ब्याज दरों के अनुसार ब्याज की गणना दैनिक गुणनफल आधार पर की जाएगी। ब्याज तिमाही अंतरालों पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा यदि उसकी राशि दर या अधिक होगी। उसके बाद 50 पैसे और अधिक को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और अन्यथा उसे अनदेखा किया जाएगा। यदि प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा खाते में परिचालन पर रोक लगा दी जाती है तो भी खाते में नियमित रूप से ब्याज जमा किया जाता रहेगा।

खाता अंतरण और बंद करना: खाताधारक (धारकों) के अनुरोध पर बैंक को शाखाओं के बीच खाता अंतरित किया जा सकता है। यदि आप खाता बंद करने का अनुरोध करते हैं तो इसका कारण बताना होगा। ऐसे अनुरोध के साथ पास बुक प्रस्तुत करनी होगी। संयुक्त खातों को सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किया जा सकता है। यदि खाता खोलने के 14 दिनों से लेकर एक वर्ष तक के भीतर बंद किया जाता है तो निर्धारित दर पर सेवा प्रभार लिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातों को ऑनलाइन भी अंतरित किया जा सकता है।

1. एक अनियमित आरडी खाता वह है, जहां किरतों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है, लेकिन खाते को उसकी परिपक्वता तक बनाए रखा जाता है। ऐसे आरडी खातों को लागू दंडात्मक प्रभार के साथ विलंबित किरतों को भरकर नियमित किया जा सकता है।
2. आरडी खातों के लिए, जो 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. केवल लागू ब्याज दर पर साधारण ब्याज आरडी खातों के लिए देय है जो 15 दिन पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन 3 महीने पूर्ण नहीं हुए हैं।
4. आरडी (नियमित) के मामले में। खाता खोलने की तिथि या करार दर, जो भी कम हो, के आधार पर 3 महीने पूरे होने के बाद परिपक्वता से पहले बंद किए गए खाते पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में, परिपक्वता मूल्य संबंधित आरडी खाते के लिए लागू अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा। जो बैंक के पास जमा राशि के पूर्ण महीनों के बराबर है। बिन्दु (ई) में उल्लिखित आवर्ती जमा को समय से पहले बंद करने पर 1% का दंड लगाया जाएगा।
5. 'समय से पूर्व बंद होने / आंशिक आहरण के लिए घरेलू / एनआरओ / एनआरडी मीयादी जमा पर, बैंक द्वारा 1.00% का दंड लगाया जाता है। इस प्रकार के समय से पूर्व बंद / आंशिक आहरण जमा पर 1.00% की दर से ब्याज मिलेगा, जो भी कम हो, जिस दर पर जमा स्वीकार किया गया है। तथापि 6 वें दिन (घरेलू / एनआरओ जमा के लिए) से पहले समय से पहले बंद होने वाली मीयादी जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। मूल रूप से सहमत अवधि से अधिक की अवधि के लिए विस्तार के दौरान 3 करोड़ रुपये से कम की घरेलू / एनआरओ / एनआरडी मीयादी जमा के समय से पहले विस्तार के लिए दंड माफ कर दिया जाता है।

नियमों में परिवर्तन: बैंक इन नियमों और सेवा शुल्कों में से किसी भी परिवर्तन करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाएगा।

बीएसबीडी खाते की विशेषताएं: (i) बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में नकदी जमा करना। (ii) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा निकाले गए चेक के जमा/संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति/जमा। (iii) महीने में जमा की जाने वाली राशि और जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं। (iv) एटीएम निकासी सहित न्यूनतम 4 निकासी। (v) एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड।

अनुलग्नक - 1

नामांकन प्रपत्र

बैंक जमा, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के संबंध में नामांकन, नामांकन रद्दीकरण और नामांकन में परिवर्तन हेतु प्रपत्र
(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45-नअ, 45-नउ और 45-नए तथा बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025 के नियम 2 से 4 देखें)

शाखा : _____ खाता/ सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर संख्या: _____

सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में जमा/वस्तु सहित बैंक ग्राहक विवरण

(*नामांकन प्रपत्र सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में बैंक जमा/वस्तु के संबंध में है)

*सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तु छोड़ने वाले जमाकर्ता/व्यक्ति/लॉकर के किराएदार का नाम:

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____

*जमा की प्रकृति/वस्तुओं की प्रकृति/लॉकर की प्रकृति:

*जो भी प्रासंगिक न हो उसे काट दें

2. नामांकन विवरण

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में ऊपर वर्णित विवरणों के संबंध में जमा राशि या सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं या लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ/करते हैं:

क्र.सं.	(A)	1	2	3	4
नामांकित व्यक्ति का नाम	(B)				
पता	(C)				
ईमेल/मोबाइल नंबर, यदि कोई हो	(D)				
बैंक प्राथमिक ग्राहक के साथ संबंध, यदि कोई हो।	(E)				
आयु	(F)				
क्रमिक नामांकन के मामले में प्राथमिकता का क्रम	(G)	प्रथम नामांकित व्यक्ति	दूसरा नामांकित व्यक्ति	तीसरा नामांकित व्यक्ति	चौथा नामांकित व्यक्ति
*बैंक जमा के मामले में जमा राशि का अनुपात प्रतिशत में	(H)				
नामांकित व्यक्ति का आधार (वैकल्पिक)	(I)				

*सुरक्षित अभिरक्षा या लॉकर में रखी वस्तु के संबंध में नामांकन के मामले में, यह पंक्ति दी जाएगी।

*और बैंक, आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर ई-नामांकन में इन विवरणों को संशोधित करने की अनुमति दे सकता है।

यदि खाताधारक जमा राशि या सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं या लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए केवल एक व्यक्ति को नामांकित करना चाहते हैं, तो पंक्ति (H) को 100% के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए और शेष पंक्तियों को उचित प्रमाणीकरण के तहत काट दिया जाना चाहिए।

नोट:

- (i) समकालिक नामांकन से तात्पर्य एक और नामांकित व्यक्ति के नामांकन से है, लेकिन यह संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका निर्धारित प्रतिशत और कुल योग 100% हो।
- (ii) क्रमिक नामांकन से तात्पर्य प्राथमिकता क्रम में एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन से है और यह भी चार नामांकित व्यक्तियों तक सीमित है; तथा निम्न क्रम में नामित व्यक्ति उच्च क्रम में नामित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होगा।
- (iii) सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में रखी वस्तुओं के संबंध में नामांकन के मामले में उपरोक्त पंक्ति (H) लागू नहीं होगा।
- (iv) जमा राशि के संबंध में, पंक्ति (G) और (H) में से केवल एक पंक्ति भरी जानी है।
- (v) पंक्ति (H) में सभी नामांकित व्यक्तियों का कुल प्रतिशत 100% के बराबर होना चाहिए।
- (vi) यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है, तो प्राथमिकता का क्रम पंक्ति (B) में दिए गए नामों के क्रम के अनुसार माना जाएगा।
- (vii) यदि नामिती/नामितियां अवयस्क हैं तो कृपया नीचे बिंदु संख्या ४ का संदर्भ लें।

3. नामांकन रद्द करना/नामांकन में परिवर्तन

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त नामांकन, सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में जमा/वस्तु के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा किए गए सभी पूर्व नामांकनों, यदि कोई हों, के अधिक्रमण में किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त नामांकन से बैंक जमा/बैंक/लॉकर की अभिरक्षा में रखी वस्तु के संबंध में पूर्व के नामांकन रद्द हो जाएंगे।

4. अभिभावक का विवरण (यदि कोई नामित व्यक्ति नाबालिग है)

क्र.सं.	नामांकित व्यक्ति का नाम	अभिभावक का नाम	नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध	पता.	अभिभावक का ईमेल/मोबाइल नंबर, यदि कोई हो	नामांकित व्यक्ति का आधार (वैकल्पिक)
1.						
2.						
3.						
4.						

5. घोषणा एवं हस्ताक्षर

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं/हम समझते हैं कि यह नामांकन उपर्युक्त खातों के लिए किसी भी पूर्व नामांकन का स्थान लेगा।

(व्यक्ति के अलावा किसी अन्य के पक्ष में नामांकन अमान्य है)

- मैं/हम एतद्वारा सहमत और स्वीकार करते हैं कि नामिती और मेरे/हमारे/नाबालिग के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा एक साथ किसी भी दावे की स्थिति में, नामिती के पक्ष में दावे का निपटान करके बैंक को मुक्त कर दिया जाएगा। हालाँकि, जमा राशि के संबंध में न्यायालय के आदेश के मामले में, बैंक ऐसे आदेश के अनुसार कार्य करेगा और मैं/हम बैंक द्वारा तदनुसार कार्यवाही करने के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं।

आवेदक का नाम 1:	आवेदक का नाम 2:
(आवेदक 1 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 2 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

आवेदक का नाम 3:	आवेदक का नाम 4:
(आवेदक 3 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 4 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

(गवाहों की आवश्यकता केवल तभी होगी जब आवेदक अशिक्षित हो तथा अंगूठे का निशान लगा रहा हो)

प्रथम गवाह के हस्ताक्षर नाम : _____ पता : _____ _____ _____	दूसरे गवाह के हस्ताक्षर नाम : _____ पता : _____ _____ _____
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



मैं/हम इस खाते में किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं।

आवेदक का नाम 1:	आवेदक का नाम 2:
(आवेदक 1 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 2 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)
आवेदक का नाम 3:	आवेदक का नाम 4:
(आवेदक 3 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 4 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

(गवाहों की आवश्यकता केवल तभी होगी जब आवेदक अशिक्षित हो तथा अंगूठे का निशान लगा रहा हो)

प्रथम गवाह के हस्ताक्षर नाम : _____ पता : _____ _____	दूसरे गवाह के हस्ताक्षर नाम : _____ पता : _____ _____
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

दिनांक : _____

स्थान : _____

जमाकर्ता(ओं) का नाम

@ ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पढ़ और/या लिख नहीं सकता, हस्ताक्षर का अर्थ ऐसे व्यक्ति के अंगूठे का निशान है, जिसे दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।



6. पावती (केवल बैंक उपयोग के लिए)

नामांकन प्रपत्र प्राप्त हुआ (नाम): _____ प्राप्ति की तिथि : ____/____/____

खाता/ सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर संख्या: _____

सीबीएस पर रिकॉर्ड किया गया: हाँ/नहीं संदर्भ संख्या: _____

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर : _____

नाम और पदनाम : _____

मुहर और तारीख : _____

बैंक ग्राहकों के लिए निर्देश :

- आप स्पष्ट रूप से परिभाषित शेयर प्रतिशत के साथ एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं।
- आप क्रमिक नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। क्रमिक नामांकन के मामले में, नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही प्रभावी होगा, जो नामांकन विवरण की उपरोक्त तालिका में उनके नाम की प्राथमिकता के क्रम में होगा। यह नोट किया जाए कि नामांकन क्रम में नीचे वाले किसी भी नामांकित व्यक्ति का नामांकन, उन सभी नामांकित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होगा जिनके नाम नामांकन क्रम में ऊपर हैं।
- नामांकन ऊपर वर्णित सभी बैंक खातों/लॉकरों/वस्तुओं पर लागू होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
- यह फॉर्म या इसमें दिए गए विवरण, परिस्थितियों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जा सकते हैं, जहाँ बैंक ई-नामांकन की सुविधा प्रदान करता है।
- यदि जमा राशि नाबालिग के नाम पर की जाती है या कोई वस्तु नाबालिग के नाम पर सुरक्षित रखी जाती है या लॉकर पूरी तरह से नाबालिग के नाम पर किराए पर लिया जाता है, तो इस नामांकन फॉर्म पर नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

अनुलग्नक - 2
आयकर नियम, 1962
फॉर्म संख्या 60

(नियम ११४बी का दूसरा उपबंध देखें)

एक व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति (कोई कंपनी या फर्म नहीं) जिसके पास पेरमानेंट अकाउंट नंबर (स्थायी खाता संख्या) नहीं है और जो नियम ११४बी में निर्दिष्ट कोई भी लेनदेन करता है, के द्वारा भरा जाने वाला घोषणा प्रपत्र,।

1	प्रथम नाम	मध्य नाम	उप नाम
2	जन्म तिथि / घोषणाकर्ता का समावेशन		
3	पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)		
4	फ्लैट नं./फ्लोर नं.		
5	परिसर का नाम / ब्लॉक नाम और नं.		
6	सड़क / गली / लेन		
7	क्षेत्र / स्थान		
8	नगर/ज़िला/राज्य		
9	पिन कोड		
10	दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड के साथ)		
11	मोबाइल नंबर		
12	लेनदेन की राशि (₹.)		
13	लेनदेन की तारीख		
14	संयुक्त नामों में लेनदेन के मामले में, लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की संख्या		
15	लेनदेन का माध्यम	नकद	चेक
			कार्ड
			ड्राफ्ट/बैंकर चेक
			ऑनलाइन ट्रांसफर
			अन्य
16	यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध है) :		
17	यदि पैन के लिए आवेदन किया है और यह अब तक नहीं मिला है तो आवेदन करने की तारीख और पावती संख्या लिखें : दिनांक :		
18	यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो, उस वर्ष की अनुमानित कुल आय लिखें (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल करें), जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है (क) कृषि आय (₹) (ख) कृषि को छोड़कर अन्य आय (₹)		
19	कॉलम 1 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज़ का ब्यौरा (पीछे दिए अनुदेश देखें)	दस्तावेज़ कोड	दस्तावेज़ पहचान संख्या
			दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता
20	कॉलम 4 से 13 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज़ का ब्यौरा (पीछे दिए अनुदेश देखें)	दस्तावेज़ कोड	दस्तावेज़ पहचान संख्या
			दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता

सत्यापन

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जो ऊपर दिए गए तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित आय (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल है) की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है जिसमें यह लेनदेन हुआ और यह लागू आयकर की अधिकतम छूट की राशि से कम है।

आज दिनांक माह 20 को सत्यापन किया गया।

स्थान :

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट :

1. घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता अपनी ओर से संतुष्टि कर लें कि इस फॉर्म में प्रस्तुत जानकारी हर तरह से सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणापत्र में झूठी जानकारी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर दंड दिया जाएगा।
 - (i) यदि किसी मामले में कर चोरी की राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक होगी तो कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी और जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा;
 - (ii) अन्य किसी मामले में, कठोर कारावास का दंड जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी और इसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
2. यदि कॉलम २२बी में अनुमानित कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है तो व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए, मद संख्या २१ को भरना चाहिए और आवेदन जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

निर्देश :

- (1) दस्तावेज जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएंगे (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और मद सं 20 में भरा गया है, तो आवश्यकता नहीं): -

क्र. सं.	दस्तावेजों का प्रकार	दस्तावेज कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
क	व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए			
1	आधार कार्ड	01	हाँ	हाँ
2	बैंक/ डाक घर पासबुक जिस पर व्यक्ति का फोटो हो	02	हाँ	हाँ
3	मतदाता फोटो पहचान पत्र	03	हाँ	हाँ
4	राशन/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिस पर व्यक्ति का फोटो हो	04	हाँ	हाँ
5	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हाँ	हाँ
6	पासपोर्ट	06	हाँ	हाँ
7	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हाँ	हाँ
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) जॉब कार्ड	08	हाँ	हाँ
9	जाति या मूल निवास प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हाँ	हाँ
10	फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक 'ए' के अनुसार संसद या विधान सभा के सदस्य या नगरपालिका सभासद या राजपलित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	10	हाँ	हाँ

क्र. सं.	दस्तावेजों का प्रकार	दस्तावेज कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
11	फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक 'बी' के अनुसार नियोक्ता से प्रमाण पत्र।	11	हाँ	हाँ
12	फोटो युक्त किसान पासबुक	12	हाँ	नहीं
13	लाइसेंस हथियार	13	हाँ	नहीं
14	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना/भूतपूर्व सैनिक अंशदायी - स्वास्थ्य योजना	14	हाँ	नहीं
15	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हाँ	नहीं
16	बिजली बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	16	नहीं	हाँ
17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	17	नहीं	हाँ
18	पानी बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	18	नहीं	हाँ
19	उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइपड गैस बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	19	नहीं	हाँ
20	बैंक खाता विवरण (3 महीने से पुराना का न हो)	20	नहीं	हाँ
21	क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से पुराना का न हो)	21	नहीं	हाँ
22	निक्षेपागार (डिपोजिटरी) खाता विवरण (3 महीने से पुराना का न हो)	22	नहीं	हाँ
23	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हाँ
24	सरकार द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र	24	नहीं	हाँ
25	पति/पत्नी का पासपोर्ट जिस पर व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हाँ
26	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से पहले का न हो)	26	नहीं	हाँ
ख	व्यक्तियों के संघ (संस्थाओं) के लिए			
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी कमीशनर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	27	हाँ	हाँ
ग	व्यक्तियों के संघ (ट्रस्टों को छोड़कर) या व्यक्तिगत निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।			
	करार की प्रति या चैरिटी कमीशनर या सहकारी समिति पंजीयक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्र या राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जिससे उस व्यक्ति की पहचान और पता प्रमाणित होता हो।	28	हाँ	हाँ

- (2) यदि किसी अवयस्क के नाम पर लेनदेन किया गया है, तो उस अवयस्क के माता-पिता/संरक्षक की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किसी उपर्युक्त दस्तावेज को अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणापत्र पर माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- (3) हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के मामले में हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता के नाम पर कोई दस्तावेज होना चाहिए।
- (4) यदि लेनदेन एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर है तो क्रम संख्या 18 पर व्यक्तियों की कुल संख्या और क्रम संख्या 16 में लेनदेन की कुल राशि भरी जानी चाहिए।

यदि कॉलम 22बी में अनुमानित कुल आय, प्रभार्य आयकर की अधिकतम छूट की राशि से अधिक होगी तो उस व्यक्ति को पैर के लिए आवेदन करना होगा और मद 21 भरना होगा तथा उक्त आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक - 3

संबंधित व्यक्ति का ब्योरा (अवयस्क के लिए भरा जाए)

ग्राहक आईडी: सीकेवाईसी नं.:

खाता सं.:

नाम *: प्रथम नाम मध्य नाम अतिन नाम

संबंधित व्यक्ति को जोड़ना संबंधित व्यक्ति को हटाना

संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (यदि उपलब्ध है)*

संबंधित व्यक्ति का प्रकार * अवयस्क का संरक्षक समनुदेशिनी प्राधिकृत प्रतिनिधि

उपाधि

नाम *: प्रथम नाम मध्य नाम अतिन नाम

(यदि केवाईसी नंबर और नाम दिया गया है तो नीचे ब्योरा देना ऐच्छिक है)

संबंधित व्यक्ति की पहचान का प्रमाण (पीओआई)*

- क-पासपोर्ट
 ख-मतदाता पहचान पत्र
 ग-ड्राइविंग लाइसेन्स
 घ-यूआईडी(आधार)
 ङ-(एनआरईजीए) जॉब कार्ड
 च-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का ब्योरा हो
 छ-अन्य (केंद्र सरकार/आरबीआई द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज)

दस्तावेज सं./पहचान संख्या *

जारी करने की तारीख: समाप्ति की तारीख (यदि लागू हो):

टिप्पणी :

फएटीसीए घोषणा पत्र

ग्राहक आईडी: सीकेवाईसी नं.:

खाता सं.:

नाम *: प्रथम नाम मध्य नाम अतिन नाम

उपाधि आदि

नागरिकता *: आई एन-इंडिया अन्य देश का नाम:

जन्म स्थान/शहर *: जन्म देश *:

पता *

शहर/गाँव *: जिला *:

राज्य *: पिन *:

एकाधिक कर निवास : भारत के कर निवास के देश का ब्योरा और/या यूएसए में @ और/या कोई अन्य देश या भारत के बाहर अधोलिखितानुसार कोई क्षेत्र :

कर निवास देश #	कर पहचान संख्या या समतुल्य यदि अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी किया गया है	पहचान प्रकार (टीआईएन या अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- @ * यूएस का नागरिक जिसने यूएस में पैदा हुआ लेकिन दूसरे देश का निवासी हो (जिन्हे यूएस की नागरिकता नहीं छोड़ी है)
* यूएस का निवासी कोई व्यक्ति जिसमें यूएस ग्रीन कार्ड धारक शामिल है
* कतिपय व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष यूएस में 180 दिनों से अधिक व्यतीत करते हैं

अधिकार क्षेत्र/देश में पता - जहाँ आवेदक टैक्स के प्रयोजन के लिए भारत के बाहर निवास करता है

पता*

शहर/गाँव*: जिला*:

उप जिला: राज्य*:

देश का नाम* जिप/पोस्ट कोड*:

स्थान:

दिनांक:

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान